Jharkhand (Respondent No. 5)

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या– 13/नि0/(आनंद विवाह)–36/16...1778/रा./ रांची, दिनांक–2-3-17

आनन्द विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियमावली का गठन करती है–––

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–(1) यह नियमावली झारखण्ड आनन्द विवाह निबंधन नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ––– इस नियमावली में, जबतक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है आनन्द विवाह अधिनियम, 1909

(ख) "विवाह" से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत सिक्ख–विवाह।

(ग) "निबंधक" से अभिप्रेत है नियम–3 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार युक्त सिक्ख विवाह के निबंधक।

(घ) "जिला निबंधक" के अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं0 16) की धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त जिला के निबंधक और इसमें अधिनियम की धारा10 एवं 11 के अन्तर्गत निबंधक का कर्तव्य निर्वहन करनेवाले पदाधिकारी शामिल है।

(च) "अवर–निबंधक" से तात्पर्य है, राज्य सरकार द्वारा निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं0 16) की धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त अवर–निबंधक और इसमें अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत यथानियुक्त पदाधिकारी शामिल है।

3. निबंधक एवं अवर–निबंधक के क्षेत्राधिकार––– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक अवर–निबंधक एवं जिले के अंतर्गत प्रत्येक जिला अवर निबंधक सिक्ख विवाह के निबंधक के अधिकार का प्रयोग एवं उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

4. विवाह का निबंधन–– (1) किसी विवाह के पक्ष, नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क देकर जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक के कार्यालय से इस निमित रक्षित सिक्ख विवाह पंजी में विवाह से संबंधित विवरणी दर्ज करा सकते हैं।

(2) विवाह के निबंधन से संबद्ध आवेदन दो प्रतियों में एवं इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र–'क' में उस जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेगें, जिनके क्षेत्राधिकार में विवाह संपन्न हुआ हो या जिनके क्षेत्राधिकार में पति स्थायी रूप से निवास करता हो।

परन्तु यह कि यदि आवेदन ऐसे जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किये गये हो जिनके क्षेत्राधिकार में विवाह संपन्न हुआ हो, और पति इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थायी रूप से निवास नहीं करता हो, तो आवेदन तीन प्रतियों में समर्पित किये जायेगें एवं आवेदन की तीसरी प्रति आवेदन पाने वाले निबंधन पदाधिकारी द्वारा उस निबंधन पदाधिकारी को अग्रसारित कर दी जायेगी, जिसके क्षेत्राधिकार में पति स्थायी रूप से निवास करता हो।

परन्तु यह और कि विवाह के निबंधन के लिए आवेदन सामान्यतया क्षेत्राधिकार युक्त अवर–निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, किन्तु जिला अवर निबंधक अपने क्षेत्राधिकार से ऐसे आवेदन स्वीकार कर सकेगें।

(3) उप नियम–(2) में वर्णित आवेदन के साथ विवाह के उभयपक्षों के परिचय एवं आवेदन में वर्णित अन्य तथ्यों की शुद्धता विषयक राजपत्रित पदाधिकारी, वार्ड कमिश्नर या ग्राम पंचायत के मुखिया या उप–मुखिया या पंचायत समिति के प्रमुख द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा एवं आवेदन निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक यदि चाहे, तो निम्नलिखित प्रपत्र में आवेदन का पावती प्राप्त कर सकेगा।
––––––––––––––––––––––––––एवं–––––––––––––––––––––––––––––– के साथ विवाह के निबंधन के लिए–––––––––––––––––––––– द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राप्त किया।

दिनांकः.............................. हस्ताक्षर..

(सिक्ख विवाह के निबंधन पदाधिकारी)

5. सिक्ख विवाह पंजी–––(1) सिक्ख विवाह पंजी जिला अवर निबंधन कार्यालय या अवर–निबंधक द्वारा संधारित सौ पन्नों का एक् वंधित वॉल्यूम होगा, जिसके पृष्ठ मशीन द्वारा लगातार संख्यांकित होंगे।

(2) जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक उन्हें निर्गत प्रत्येक निरंक पंजी के आमुख–पृष्ठ पर ऐसी पंजी के पृष्ठों की संख्या एवं उनके द्वारा पंजी प्राप्त किये जाने की तिथि, सहस्ताक्षर सत्यापित करेंगे।

(3) प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के अन्त में जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक वर्षान्तर्गत निबंधित आवेदनों की संख्या सत्यापित करेगा और जब कभी ऐसी पंजी प्रविष्टियों से पूर्ण हो जाएगी, जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा उस विशिष्ट पंजी में निबंधित आवेदनों की संख्या सत्यापित की जायेगी।

6. आवेदन का संचयन––– नियम 4 के अन्तर्गत जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन सिक्ख विवाह पंजी में उपलब्ध प्रथम निरंक पन्ने पर चिपकाकर संचयन कर दिया जायेगा।

7. आवेदन का पृष्ठांकन–––(1) प्रत्येक आवेदन इसका द्वितीयक तथा इसकी तृतीयक प्रति के यथावश्यक उलट पृष्ठ पर जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक द्वारा सहस्ताक्षर निम्नलिखित पृष्ठांकन बनाया जायेगा।

आवेदन मेरे द्वारा दिनांक........................20.................. को प्राप्त किया गया और इसे सिक्ख विवाह निबंधन, (झारखण्ड) नियमावली, 2016 के अंतर्गत संधारित सिक्ख विवाह पंजी के 20................. के क्रम संख्या...........................पृष्ठ.................... वॉल्यूम.................................... पर पृष्ठांकित किया गया।

दिनांक........................ हस्ताक्षर..............................

(सिक्ख विवाह के जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक)

(2) जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक यथाशीघ्र, आवेदकों को उनके विवाह के सम्यक् निबंधन की लिखित सूचना देगा तथा अनुसूची प्रपत्र ड़. में एक प्रमाणपत्र निर्गत करेगा।

(नोट):– पक्षकारों के आग्रह पर प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में भी दिया जा सकेगा।

8. अनुकृतियाँ—— अवर—निबंधक प्रत्येक माह के सातवें दिन या उसके पूर्व, पूर्ववर्ती माह के अन्तर्गत उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों की अनुकृतियों की क्रम संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए व्याख्यापत्र के साथ भेजेगा और यदि कोई आवेदन पूर्ववर्ती माह से प्राप्त न हुआ हो तो ऐसा पत्र यह विनिर्दिष्ट करते हुए जिला अवर निबंधक को प्रेषित करेगा कि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

9. जिला अवर निबंधक द्वारा आवेदनों का संचयन—— नियम 8 के अंतर्गत आवेदनों की द्वितीयक प्रति प्राप्त होने पर जिला अवर निबंधक संधारित पंजी में ऐसी द्वितीयक प्रतियों को चिपकाकर संचयित करेगा या करवायेगा।

10. शुल्क का अनुसूची——(1) विवाह के निबंधन हेतु आवेदन स्वीकार करने के लिए शुल्क होंगे—

(i) 250.00 रूपये, यदि निबंधन हेतु आवेदन विवाह सम्पन्न होने के दो माह के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो

(ii) 500.00 रूपये, यदि निबंधन हेतु आवेदन विवाह सम्पन्न होने के दो माह के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो। शुल्क जिला अवर निबंधक या अवर—निबंधक को नगद अथवा सरकार द्वारा निर्धारित अन्य रिति से भुगतान किया जायेगा।

(2) सिक्ख विवाह पंजी से प्रमाणित उद्धरण, जिला अवर निबंधक या अवर—निबंधक को आवेदन देकर एवं 250.00 रूपये के शुल्क भुगतान पर उनसे प्राप्त किया जा सकेगा।

(3) प्रविष्टियों को खोजने के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगें——

(i) यदि प्रविष्ट चालू वर्ष की हो, 75.00 रूपये;

(ii) यदि प्रविष्ट आसन विगत वर्ष की हो, 150.00 रूपये;

(iii) यदि प्रविष्ट उससे भी पूर्व वर्ष की हो, 200.00 रूपये और उसके पश्चात् प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अतिरिक्त 50.00 रूपये के साथ।

(4) विवाह निबंधन हेतु उपर्युक्त शुल्क "मुख्य शीर्ष—0030—स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क—उप मुख्य शीर्ष—03—पंजीकरण शुल्क—लघु शीर्ष—800—अन्य प्राप्तियाँ—उपशीर्ष 01—अन्य प्राप्तियाँ विस्तृत शीर्ष 01—प्राप्तियाँ—003003800010101 विवाह अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन शुल्क" को निबंधन पदाधिकारी द्वारा कोषागार चालान के माध्यम से जमा कराना आवश्यक होगा।

11. पावती का प्रपत्र—— इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र संख्या 'ख' से संबद्ध रिसीट बुक से एक पावती इस नियमावली के अंतर्गत भुगतान किये गये शुल्क की

अभिस्वीकृति के लिए निर्गत किये जायेगें। रिसीट–बुक सौ पन्नों का एक बंधित वॉल्यूम होगा जो प्रत्येक पर्ण एवं प्रतिपर्ण युक्त होगी तथा लगातार मशीन द्वारा क्रमांकित होगा।

12. कैश बुक—– जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र 'ग' में कैश बुक संधारित करेंगे या करायेंगे। इस नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त सभी शुल्क प्रत्येक दिन कैश बुक में अंकित किये जायेंगे और निबंधक या अवर–निबंधक उस दिन के कुल जमा शुल्क की सत्यता को प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे।

13. निबंधक की शक्तियां—–(1) यदि जिला अवर निबंधक या अवर निबंधक द्वारा नियम–4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन किसी रूप में अपूर्ण या विसंगतिपूर्ण होगा या यदि विवाह पंजी से सत्यापित उद्धरण के लिए आवेदन नियम–10 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के साथ समर्पित नहीं किया जाता है, निबंधक या अवर–निबंधक विवाह के पक्षों से यथास्थिति उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत विसंगति दूर करने या निर्धारित शुल्क जमा किये जाने की अपेक्षा करेंगे, जिसे पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र 'घ' में प्रदर्शित पंजी में संचयित कर दिया जायेगा।

(2) यदि जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक ऐसा आवेदन प्राप्त करते है जो उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है, वह इसे आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस कर देंगे एवं इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र 'घ' में प्रदर्शित पंजी में संचयित करेगा।

(3) यदि अवर–निबंधक निबंधन के लिए प्राप्त किसी आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त करते हैं तो, वे उसे जिला अवर निबंधक को अग्रसारित करेंगे, जो संबंधित आवेदन एवं प्राप्त आपत्तियों पर प्रभावित पक्षों की सुनवाई के उपरान्त निर्णय लेंगे और उनका निर्णय सक्षम न्यायालय के आज्ञाप्ति या आदेश के अध्यधीन, निबंधन हेतु आवेदन पर कार्यवाही के संबंध में अन्तिम होगा।

(4) ऐसे आवेदनों को जिन्हें वापस किया जायेगा या जिनका निबंधन पूर्व कथित रूप से अस्वीकृत किया गया है का वितरण इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र 'घ' के पंजी में अंकित किया जायेगा।

14. अधीक्षण—– जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग उपायुक्त–सह–जिला निबंधक के सामान्य अधीक्षण से करेंगे।

15. प्रपत्र—– विवाह के पक्षों के लिए सुस्पष्ट टंकित प्रपत्रों के प्रयोग का विकल्प होगा।

16. अवर निबंधन कार्यालय के पंजियों एवं दस्तावेजों का परिरक्षण——(1) सिक्ख विवाह पंजी एवं नियम–17 में प्रसंगित सूचकांक पूरे होने के छः वर्ष के बाद जिला अवर निबंधक को अभिलेख कक्ष में लाकर स्थायी रूप से परिरक्षित कर दिये जायेगे।

(2) अन्य अभिलेख एवं कागजात, यथा रिसीट–बुक, कैश बुक, पंजी से उद्धरण के लिए आवेदन इत्यादि छः वर्ष के पूरे हो जाने पर जिला अवर निबंधक या अवर–निबंधक द्वारा विनष्ट कर दिये जायेंगे।

17. विवाह पंजी की प्रविष्टियों का सूचीबद्धकरण—— आनन्द विवाह पंजी की सभी प्रविष्टियां सूचीबद्ध की जायेंगी तथा सूची दो प्रपत्रों में रखी जायेगी यथा एक वर के नाम से एवं दूसरे वधू के नाम से और ऐसी सूची किसी भी व्यक्ति को 50.00 रूपये प्रति रेकर्ड की दर से निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

————————

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(कमल किशोर सोन)
सचिव,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक :– 13/नि0/(आनंद विवाह)–36/16–178/नि0/ रांची, दिनांक 2-3-17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

सचिव।

ज्ञापांक :– 13/नि0/(आनंद विवाह)–36/16–178/नि0/ रांची, दिनांक 2-3-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक :– 13/नि0/(आनंद विवाह)–36/16–178/नि0/ रांची, दिनांक 2-3-17

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव।

अनुसूची

प्रपत्र–क

[नियम 4(2) देखें]

आनन्द विवाह के निबंधन के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

आनन्द विवाह के निबंधक,
जिला...............
झारखण्ड।

महाशय,

आनन्द विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप हम अधोहस्ताक्षरी पक्षों के मध्य दिनांक...................... को आनन्द विवाह सम्पन्न हुआ है और हम आनन्द विवाह पंजी में अपने विवाह से संबंधित निम्नलिखित विवरण निबंधित करने का अनुरोध करते हैं:

<u>विवाह से संबंधित विवरण</u>

1. विवाह की तिथि–
2. विवाह का स्थान (स्थान को चिन्हित करने हेतु पर्याप्त विवरण सहित)–
3. वर संबंधी विवरण–
   (क) पूरा नाम/आधार संख्या–
   (ख) अधिवास–
   (ग) उम्र (जो 21 वर्ष से अन्यून नहीं होगा, देखें धारा 5)–
   (घ) निवास का सामान्य स्थान–
   (च) आवेदन के समय पता–
   (छ) विवाह के समय स्थिति, क्या– अविवाहित/विधुर/परित्यक्त

(वर का हस्ताक्षर)

दिनांक–

4. वधु संबंधी विवरण–
   (क) पूरा नाम/आधार संख्या–
   (ख) अधिवास–
   (ग) उम्र (जो 21 वर्ष से अन्यून नहीं होगा, देखें धारा 5):–
   (घ) निवास का सामान्य स्थान–
   (च) आवेदन के समय पता–
   (छ) विवाह के समय स्थिति, क्या– अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता

दिनांक–

(वधु का हस्ताक्षर)

5. वर के पिता के संबंध में विवरण––
   (क) पूरा नाम–
   (ख) उम्र–
   (ग) पेशा–
   (घ) निवास का सामान्य स्थान–
   (च) आवेदन के समय पता–
   (छ) जीवित या मृत–

दिनांक– (वर के पिता का हस्ताक्षर)
(नोट–वर के पिता का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।)

6. वधु के पिता या अन्य अभिभावक के संबंध में विवरण–
   (क) पूरा नाम–
   (ख) उम्र–
   (ग) पेशा–
   (घ) निवास का सामान्य स्थान–
   (च) आवेदन के समय पता–

दिनांक– (वधु के पिता या अन्य अभिभावक का हस्ताक्षर)
(नोट– वधु के पिता या अन्य अभिभावक का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।)

7. विवाह सम्पन्न करानेवाले पुरोहित का विवरण––
   (क) पूरा नाम–
   (ख) उम्र–
   (ग) निवास का सामान्य स्थान–
   (घ) पता–

(नोट– पुरोहित संबंधी विवरण अंकित करना आवश्यक नही है, यदि आवेदन विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष पश्चात् दिया गया हो। पुरोहित का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है।)

दिनांक– (विवाह सम्पन्न करानेवाले पुरोहित का हस्ताक्षर)

घोषणा– हम सत्यनिष्ठ घोषणा करते हैं कि हमसे एवं सम्पन्न विवाह से संबंद्ध विवरण जो आवेदन–पत्र में अंकित है, हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सत्य है और शेष तथ्य प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है एवं विश्वास है कि वे सत्य है।

8. वर का हस्ताक्षर (वधु का हस्ताक्षर)

   दिनांक– दिनांक–

9. 1.गवाह
(क) पूरा नाम–
(ख) पिता का नाम–
(ग) उम्र–
(घ) पता–
(ड़) आधार संख्या–

हस्ताक्षर—–

दिनांक—–

2.गवाह
(क) पूरा नाम–
(ख) पिता का नाम–
(ग) उम्र–
(घ) पता–
(ड.) आधार संख्या–

हस्ताक्षर—–

दिनांक—–

वर एवं वधू के परिचय एवं इस आवेदन–पत्र के साथ अनुलग्न अन्य विवरणों के संबंध में श्री / श्रीमती.. पदनाम..(एक राजपत्रित पदाधिकारी वार्ड कमिश्नर या ग्राम पंचायत के मुखिया या उप–मुखिया या पंचायत समिति के प्रमुख) द्वारा अभिप्रमाणित।

नोट– विवाह के उभय पक्षो का परिचय या अन्य विवरणों का अभिप्रमाणन किसी एक पदाधिकारी द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में एक से अधिक ऐसे पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जा सकता है।

अनुसूची
प्रपत्र–ख
[देखें नियम 11]
शुल्क पावती
(द्वितीयक)

(1) क्रम संख्या—–

(2) प्राप्ति की तिथि—–

(3) जिनसे शुल्क प्राप्त हुआ है:–

(4) किस निमित शुल्क प्राप्त हुआ है:–

(5) नियम जिसके अंतर्गत शुल्क ग्रहणीय है–

(6) शुल्कों की राशि–

स्थान—– विवाह निबंधक का हस्ताक्षर

दिनांक—–

अनुसूची

प्रपत्र–ग
[देखें नियम 12]
कैश बुक

पावती संख्या एवं तिथि	वसूल की गयी राशि का विवरण	राशि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	कोषागार में जमा राशि	चालान नं0 एवं तिथि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुसूची

प्रपत्र–घ
[देखें नियम 12]
कैश बुक

क्रम संख्या	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि एवं आवेदन प्रस्तुत करने वाले का नाम	विवाह के पक्षों एवं विवाह की तिथि	अस्वीकृत या वापस	अस्वीकृत या वापसी का कारण
1	2	3	4	5

प्रपत्र–ड.
[देखें नियम 7(2)]

अधिसूचना संख्या.......................... के अन्तर्गत सिक्ख विवाह नियमावली के नियम 7 (2) के अन्तर्गत विवाह निबंधन प्रमाण–पत्र

वर वधु का फोटो

मैं.............. इस रीति से प्रमाणित करता हूँ कि श्री .... सुपुत्र श्री...................... .... निवास स्थान................................... जिला......................... तथा श्रीमती .... सुपुत्री श्री... निवास स्थान.. जिला.................... .... आज दिनांक– .... को मेरे समक्ष तीन गवाहों के साथ उपस्थित हुए तथा सकारा कि दोनों का विवाह दिनांक–.................................. को स्थान............................ में संपन्न हुआ है तथा उक्त तिथि से दोनों पति–पत्नी के रूप में निवास कर रहे हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप उनके विवाह का निबंधन आज दिनांक............................ को सिक्ख विवाह अधिनियम, 1909 के अन्तर्गत किया गया है जो दिनांक (विवाह संपन्न होने की तिथि) .... से प्रभावी होगा।

गवाह का पूर्ण विवरण/आधार संख्या वा हस्ताक्षर

सिक्ख विवाह निबंधन पदाधिकारी कार्यालय

1.

2.

वर का नाम/आधार सं0 एवं हस्ताक्षर

3

वधु का नाम आधार सं0 एवं हस्ताक्षर